

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022-23/ 5555

दिनांक 8/5/24

निमित्त:-

अधिशायी अभियन्ता

सा0 नि0 वि0 खण्ड शाहबाद।

विषय :- जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत मामलीलक्ष्मीपुरा से पटपडी सड़क के निर्माण हेतु 1.14 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के कम में

Proposal ID NO - FP/RJ/ ROAD /7127/2014 (1.14ha)

संदर्भ:- अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) सा0 जयपुर के कार्यालय में दिनांक 07.05.2024 को बैठक में दिये गये निर्देशों के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मामली लक्ष्मीपुरा से पटपडी सड़क के निर्माण हेतु 1.14 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रथम स्तरीय सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र क्रमांक 57 दिनांक 19.01.2021 को जारी की गई थी। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 544 दिनांक 22.01.2024 को मांग पत्र जारी किया गया था। अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) सा0 जयपुर के कार्यालय में दिनांक 07.05.2024 को बैठक में दिये गये निर्देशों के कम में संशोधित मांग पत्र निम्नानुसार है।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित बिन्दु संख्या-2 के कम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @252 से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @259 से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	1.14	164100	187074	1.14	198000	225720	0	225720

2. बिन्दु संख्या - 4 के (क) के कम में NPV की राशि

विन्दु संख्या - 4 के (क) के कम में NPV की राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार तत्समय प्रचलित दर से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार NPV की वर्तमान नवीन दर से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	1.14	626000	713640	1.14	957780	1091869	0	1091869

3. FCA उल्लंघन के कम में MOEF के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दण्डातमक राशि

a. उल्लंघन की दिनांक - 25.08.2015

b. कुल प्रभावित क्षेत्रफल - 1.14 है0

c. NPV की राशि - 957780 प्रति हैक्टर

d. शास्ती की गणना 25.08.2015 से 25.08.2020

$$1.14 \times 5 \times 957780 = 5459346 \text{ /-}$$

e. दिनांक 25.08.2020 से 12% ब्याज

$$5459346 \times (12/100) \times (4) = 2620486$$

इस प्रकार कुल दण्डात्मक राशि (d+e) $5459346 + 2620486 = 8079832$

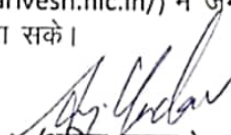
f. यदि प्रस्ताव जन उपयोगी है तो गणना की राशि का 20% शास्ती के रूप में देय होगा इस प्रकार राशि जो जमा कराई जानी शेष है।

$$8079832 \times (20/100) = 1615966$$

15. कुल राशि का विवरण

क. सं.	मद का नाम	चाही गई राशि	पूर्व में जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि	225720	0	225720
2	NPV की राशि	1091869	0	1091869
3	दण्डात्मक राशि	1615966	0	1615966
	योग	2933555		2933555

अतः अब कुल जमा होने वाली राशि, कम्पा मद Online e- portal (<https://parivesh.nic.in/>) में जमा करवाकर रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।


(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

दिनांक

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2022-23 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति-प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
3. अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0बारां।


(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां